राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / 1994 / अलेसे II / 29087 दिनांकः–29.03.2016

आदेश संख्या : 225 / 2015–16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त (नियम) / 2008 / दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ. 11(7)वित्त (नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88) वित्त (नियम) / 2008 / दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को **कनिष्ठ लेखाकार** के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05.07.2013 एवं एफ 14(88) एफ डी / रूल्स / 2008– I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से **कनिष्ठ लेखाकार** के पद की **तृतीय** आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड 2 (9300–34800) में ग्रेड–पे **5400 / –** स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	क.लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अक्षय कुमार मोदी (3355)	848 / 1986	14.07.1987	14.07.2014	कनिष्ठ लेखाकार का पद ग्रहण करने की तिथि 01.11.1988 से पूर्व समान ग्रेड पे में सांख्यिकी सहायक के पद की सेवा को नियमानुसार सम्मिलित करते हुये ए.सी.पी. देय।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नही होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा हैं।
2. पूर्व में **तृतीय** आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्ठि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / 1994 / अलेसे II / 29087 दिनांकः–29.03.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित / निजी पत्रावली।

(डॉ० मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)